

कार्यालय

पत्रांक-51/सीएफओ/जीबीएन-12(जीएन)
सेवा मे,

उपनिदेशक/मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

दिनांक: अक्टूबर

गौतमबुद्धनगर।

2012

महाप्रबन्धक (वास्तु एवं नियोजन)

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण

गौतमबुद्धनगर।

विषय:

मैसर्स अर्थकॉन कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0 द्वारा प्लॉट न0-जी0एच0-06सी0 सेक्टर-चाई-5 नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित गुप हाउसिंग भवन के निर्माण हेतु मानचित्रो की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक: 15-10-2012 के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्लॉट पर आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रो का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा से कराया गया तो उनके द्वारा आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण किया गया विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:-

प्लॉट एरिया-18,154.00 वर्ग मी0।

क्रमांक	नाम टावर	तलों की संख्या	भूतल कवर्ड एरिया	टिपिकल कवर्ड एरिया	ऊँचाई मी0 मे
1	टावर-ए0-1	2, बेसमेन्ट, भूतल एवं 17 तल	714.263	652.157	54.900
2	टावर-ए0-2	2, बेसमेन्ट, भूतल एवं 17 तल	714.263	652.157	54.900
3	टावर-बी0-1	2, बेसमेन्ट, भूतल एवं 17 तल	516.144	474.146	54.900
4	टावर-बी0-2	2, बेसमेन्ट, भूतल एवं 17 तल	516.144	474.146	54.900
5	स्टूडियो अपार्टमेन्ट	2 बेसमेन्ट, भूतल, स्टिल्ट एवं 16 तल	658.792	550.806	54.00
6	अपर बेसमेन्ट	13,035.029			
7	लोवर बेसमेन्ट	13,035.029			

भवन का अधिभोग विवरण:-

प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी-2005 आवासीय श्रेणी ए0-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाँचागत व्यवस्था:-

1- पहुँच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे रोड की चौड़ाई 24 मी0 मानको के अनुसार अंकित की गई है जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है तथा प्रवेश द्वार जिनकी चौड़ाई एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

2- सैटबैक:- प्रस्तावित भवन का सैटबैक निम्नवत है:-

ए0-अग्रभाग-12.00 मी0।

बी0-पृष्ठ भाग-07.50 मी0।

सी0-पार्श्व भाग प्रथम-07.50 मी0।

डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-07.50 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नहीं होगा तथा टावरो के चारो ओर 06 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

3- निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर मे 02 स्टेयरकेश प्रस्तावित है प्रत्येक स्टेयर की चौड़ाई 1.20 मी0 प्रस्तावित है, जो बाहय स्टेयर कश के रूप मे निर्मित है जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप मे निर्मित किया जायेगा।

4- रिफ्यूज एरिया:- प्रत्येक टावर मे बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार रिफ्यूज एरिया मान्य है।

घ-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना वाँच्छनीय है।

1-भूमिगत:- प्रश्नगत भवन मे अग्निशमन कार्यो हेतु 2,00,000 दो लीख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँच्छनीय है।

2-पम्पस:- भूमिगत टैंक के पास 2280 एल0पी0एम0 क्षमता का 01 अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद जौकी पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने वाँच्छनीय है।

3-टेरिस टैंक: प्रत्येक टावर की टेरिस पर टेरिस टैंक क्रमशः 25,000 पच्चीस हजार ली0, क्षमता का स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँच्छनीय है।

4-होजरील मय डाउनकामर:- प्रस्तावित भवन मे प्रत्येक ब्लाक/टावर मे प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व, मय होज बाक्स, होज पाइप, एवं ब्रान्च पाइप का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वाँच्छनीय है।

5-वेटराइजर:- प्रस्तावित भवन मे 150 एमएम का वेटराइजर का प्राविधान तथा उस पर यार्ड हाईड्रैण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार वाँच्छनीय है।

6-ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के टावरो मे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वाँच्छनीय है।

7-ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँच्छनीय है।

8-मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँच्छनीय है।

9-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है जो मानक के अनुरूप है।

10-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन:- प्रश्नगत भवन मे 02 बेसमेन्ट प्रस्तावित है जिसमे स्मोक एक्स्ट्रैक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँच्छनीय है।

11-एग्जिट साईनेज एवं पी0ए0 सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे एग्जिट साईनेज एवं पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँच्छनीय है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन मे फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानको के अनुसार वाँच्छनीय होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स अर्थकॉन कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0 द्वारा प्लाट न0-जी0एच0-06सी0 सेक्टर-चाई-5 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 एवं तत्समय पृवत्त किसी अन्य विधि मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन

के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र अदद।

(अमन शर्मा)
उपनिदेशक / मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

प्रतिलिपि: 1- अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2- मैसर्स अर्थकॉन कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0 द्वारा प्लॉट न0-जी0एच0-06सी0 सेक्टर-चाई-5 नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उक्त के सन्दर्भ में अनुपालनार्थ।